न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी	:	कार्तिक शर्मा, आर.जे.एस.
आपराधिक नियमित प्रकरण सं.	:	41 / 2025
सी.आई.एस. प्रकरण सं.	:	41 / 2025

राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी

ब ना म

महावीर पुत्र नन्दाराम उम्र 28 साल निवासी केसरपुरा पुलिस थाना सराना जिला अजमेर

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 85 बी.एन.एस. व 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

उपस्थितिः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य.
2. श्री सुधीर कुमार पारीक अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

नि र्ण य **दिनांकः 06.04.2026**

1. इस प्रकरण में दिनांक 12.02.2025 को विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने थानाधिकारी पुलिस थाना सराना की ओर से अभियुक्त महावीर विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 85 बी.एन.एस. एवं धारा 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.2024 को प्रार्थिया श्रीमती काली एवं रंगलाल ने एक परिवाद अभियुक्तगण महावीर व श्रीमती बदाम के विरूद्ध न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि परिवादी की पुत्री काली जो कि जन्म से ही मुकबधीर है का विवाह नाबालिग अवस्था में महावीर पुत्र नन्दा के साथ हिन्दु रीतिरिवाज अनुसार समाज में प्रचलित प्रथा अनुसार सम्पन्न किया था। जिसमें परिवादी द्वारा सामर्थ्य अनुसार स्त्रीधन जेवरात उपहार दिए थे। परिवादी की पुत्री बालिग होने के पश्चात ससुराल आने जाने लगी एंव दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने लगी। परिवादी की पुत्री के ससुराल जाने पर अभियुक्तगण का व्यवहार एक वर्ष तक सही रहा एवं इसके पश्चात अभियुक्तगण का व्यवहार एकदम क्रूर हो गया तथा बात–बात पर ताने मारने लगे एवं दहेज की अवैध मांग करने लगे। उक्त मांग में उसकी सास भरपूर सहयोग करती थी तथा परिवादी की पुत्री काली को कमरे में बंद कर देती थी एवं भूखी रखती थी। अभियुक्त आए दिन शराब का नशा कर मारपीट करने लगा एवं दहेज में एक लाख रूपए व एक मोटरसाईकिल की मांग करने लगा। लोगों के सामने परिवादी की पुत्री को नीचा दिखाने के लिए काली कलुटी, गुंगी, बहरी अपशब्द कहकर आए दिन प्रताडित करने लगे। तकरीबन दस दिन पूर्व अभियुक्तगण परिवादी की पुत्री के साथ मारपीट कर मोटरसाईकिल से उसके पास लेकर आए व एक लाख रूपए नगद व मोटरसाईकिल की मांग की जिस पर परिवादी ने थोडे दिन रूक जाने हेतु कहा तो भडक गए एवं परिवादी की पुत्री को पहने कपडे में घर पर छोड गए। परिवादी ने जब स्त्रीधन, उपहार मांगे तो देने से साफ मना कर दिया, ...इत्यादि। उक्त परिवादी पुलिस थाना सराना प्रेषित किए जाने पर पुलिस थाना सराना में प्रकरण संख्या 86/2024 अंतर्गत धारा 85, 115(2), 316(2) बी.एन.एस. एवं धारा 4/6 दहेज

प्रतिषेध अधिनियम में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त महावीर के विरूद्ध धारा 85 बी.एन.एस. एवं धारा 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण को नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्त को धारा 85 बी.एन.एस. एवं धारा 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में हेतु आरोप पृथक् से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया–समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन–समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.–1 हरदेव, पी.ड.–2 डेमोराम, पी.ड.–3 रंगलाल, पी.ड.–4 सुखा, पी.ड.–5 हनुमान, पी.ड. 6 काली, पी.ड. 7 सोरत, पी.ड.8 कानाराम, पी.ड. 9 विजय मीणा को परीक्षित कराया गया। प्रकरण में पीडिता/परिवादिया श्रीमती काली मूकबधिर होने एवं बोलने में सक्षम नहीं होने पर अध्यापिका सुमन राठौड जो पूर्व में मूकबधिर विद्यालय में कार्यरत होने एवं सांकेतिक भाषा का अनुभव होने से उनके द्वारा पूछने व समझाने पर भी सक्षम नहीं होने पर परिवादिया के बयान लेखबद्ध किया जाना संभव नही होने पर बयान लेखबद्ध नहीं किए गए। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 फर्द पेशकशी, प्रदर्श पी–2 पुलिस बयान डेमोराम, प्रदर्श पी–3 परिवाद, प्रदर्श पी–4 स्त्रीधन सूची, प्रदर्श पी–5 पुलिस बयान रंगलाल, सहवन से पुनः प्रदर्श पी–5 चॉक एफ.आई.आर., प्रदर्श पी–6 राजीनामा, प्रदर्श पी–7 पुलिस बयान सुखा, प्रदर्श पी–8 पुलिस बयान हनुमान, प्रदर्श पी–9 पुलिस बयान सोरत, प्रदर्श पी–10 पुलिस बयान कानाराम, प्रदर्श पी–11 पुलिस अधीक्षक को लिखी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–12 थाना सराना से जिला शिक्षा अधिकारी केकडी को लिखा पत्र, प्रदर्श पी–13 थाना सराना द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को विशेष शिक्षक हेतु लिखा पत्र, प्रदर्श पी–14 प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 63(4)(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी–15 फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी कार्यवाही की विडियोग्राफी सारणी दस्तावेजात को प्रदर्श एवं प्रमाणित करवाया गया है। इसी प्रक्रम पर अभियुक्त तथा प्रार्थिया के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो जाने के कारण धारा 85 बी.एन.एस. एवं धारा 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। धारा 85 भा.दं.सं. एवं धारा 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में राजीनामा नाकाबिल होने से राजीनामा अस्वीकार किया गया।

5. अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस के तहत् लिये गये तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना एवं झूठा फंसाया जाना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियेाजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया। जबकि दौराने बहस अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। गवाहान ने परस्पर विरोधाभासी कथन किए है। प्रकरण में परिवादी सहित समस्त साक्षीगण पक्षद्रोही हुए हैं। प्रकरण में उभय पक्ष में आपसी राजीनामा हो गया है। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे विचारणीय बिंदू यह है कि.....

क्या प्रार्थिया श्रीमती काली जो कि मूकबधिर है, से नाबालिग अवस्था में विवाह होने एवं उसके ससुराल जाने के बाद उसके ससुराल केसरपुरा में समय–समय पर आपने प्रार्थिया से दहेज में 1

लाख रूपए नगद व एक मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया एवं प्रार्थिया के माता–पिता से भी उपरोक्त दहेज की मांग की ? यदि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध साबित हैं तो उसके लिए समुचित दण्ड क्या होगा?

8. परिवादिया द्वारा न्यायालय में एक परिवाद प्रदर्श पी–3 इस तथ्य पर पेश किया, कि परिवादी की पुत्री काली जो कि जन्म से ही मुकबधीर है का विवाह नाबालिग अवस्था में महावीर पुत्र नन्दा के साथ हिन्दु रीतिरिवाज अनुसार समाज में प्रचलित प्रथा अनुसार सम्पन्न किया था। जिसमें परिवादी द्वारा सामर्थ्य अनुसार स्त्रीधन जेवरात उपहार दिए थे। परिवादी की पुत्री बालिग होने के पश्चात ससुराल आने जाने लगी एंव दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने लगी। परिवादी की पुत्री के ससुराल जाने पर अभियुक्तगण का व्यवहार एक वर्ष तक सही रहा एवं इसके पश्चात अभियुक्तगण का व्यवहार एकदम क्रूर हो गया तथा बात–बात पर ताने मारने लगे एवं दहेज की अवैध मांग करने लगे। उक्त मांग में उसकी सास भरपूर सहयोग करती थी तथा परिवादी की पुत्री काली को कमरे में बंद कर देती थी एवं भूखी रखती थी। अभियुक्त आए दिन शराब का नशा कर मारपीट करने लगा एवं दहेज में एक लाख रूपए व एक मोटरसाईकिल की मांग करने लगा। लोगों के सामने परिवादी की पुत्री को नीचा दिखाने के लिए काली कलुटी, गुंगी, बहरी अपशब्द कहकर आए दिन प्रताडित करने लगे। तकरीबन दस दिन पूर्व अभियुक्तगण परिवादी की पुत्री के साथ मारपीट कर मोटरसाईकिल से उसके पास लेकर आए व एक लाख रूप्ए नगद व मोटरसाईकिल की मांग की जिस पर परिवादी ने थोडे दिन रूक जाने हेतु कहा तो भडक गए एवं परिवादी की पुत्री को पहने कपडे में घर पर छोड गए। परिवादी ने जब स्त्रीधन, उपहार मांगे तो देने से साफ मना कर दिया। इस संबंध में परिवादिया के पिता रंगलाल को जब न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह **पी.ड. 3** परीक्षित किया गया तो प्रार्थिया पक्षद्रोही होकर अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि काली उसकी बेटी है जिसका विवाह नाबालिग अवस्था में उसने महावीर पुत्र नंदा के साथ में किया था। शादी में उसने अपनी बेटी को अपनी हैसियत के अनुसार गहने व घर गृहस्थी के सामान जिनमें पायजेब कनकती मादलिया बिछुडी सिलाई मशीन, पंखा व अन्य सामान दिए थे। जिनको बिल समेत महावीर के उसके पिता रंगलाल को सौप दिए थे। शादी के बाद काली को उसके ससुराल भेज दिया लेकिन मुखबधिर होने के कारण उसकी पुत्री को महावीर ने रखने से मना कर दिया और उसको उनके घर पर छोड गया। उसके बाद काली को कोई लेने नही आए। जिसके कारण उसने व उसकी बेटी काली ने मुकदमा दर्ज करा दिया। अभियोजन पक्ष की जिरह में इस तथ्य से इनकार किया कि अभियुक्त व उसकी माता ने उसकी बेटी से मारपीट कर एक लाख रूपए व मोटरसाईकिल की मांग की हो। गवाह ने उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का सी से डी भाग पुलिस को दिए जाने से इनकार किया। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हेा गया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि महावीर व उसके परिवारवालो ने काली के साथ किसी भी तरह की दहेज की मांग नहीं की थी ही मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो। यह स्वीकार किया कि मामुली विवाद को लेकर आवेश में आकर उसने महावीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाय दिया था। यह स्वीकार किया कि उनके व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो गया है तथा वह अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

9. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 1 हरदेव ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि काली उसकी दोहिती है। काली के पति का नाम महावीर है और उसकी शादी लगभग 11–12 साल पहले महावीर पुत्र नंदा निवासी केसरपुरा के साथ की थी। शादी के 4–5 साल बाद उसका गौना किया जिसमें चांदी की बंगडी, महावीर के लोंग व घर–गृहस्थि के सामान दिये थे जो बिल समेत महावीर व उसके

परिवार वालों को सुपुर्द किया। उसका बाद काली को उसके ससूराल भेज दिया गया। महिने भर बाद काली को ठीक से रखा लेकिन बाद में महावीर ने उसके साथ में मारपीट तथा झगडा करने लग गया तथा काली के गहने खुलवा लिये। महावीर व उसके परिवार वाले काली से कहते कि 1 लाख रूपये तथा मोटरसाईकिल तेरे पिता से लेकर आ नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करते थे काली को बोलते थे तू गूगी है और काली है इस बात को लेकर मारपीट कर उसकों छोड दिया। एक–डेढ साल बाद महावीर ने सरवाड में किसी दूसरी लडकी से शादी कर ली उस लडकी का नाम उसे याद नही है। उसने महावीर और उसके परिवार वालों को काफी समझाया समाज वालों ने भी समझाया लेकिन वो अपनी जिद पर अडा रहा। तंग परेशान होकर रंगलाल व काली ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में पुलिस ने उसके बयान लिये। मुकदमा दर्ज होने के बाद में 5 बर्तन थाने पर लेकर आया था जिनको पुलिस ने उन्हें लोटा दिया। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि काली के पिता रंगलाल ने महावीर व उसके परिवारवालों से डेढ लाख रूप् मांगे थे परन्तु उन्होंने नहीं दिए। इसके बाद में मुकदमा कर दिया। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसके सामने दहेज की मांग नहीं की गयी।

10. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 4 सुखा पक्षद्रोही होकर मुख्य परीक्षण में कथन किया कि काली उसकी भतीजी है। गवाह ने कथन किया कि काली के ससुरालवाले उसे लेकर नहीं जाते हैं इसलिए उन्होंने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। अभियोजन पक्ष के प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया कि महावीर व उसकी माता ने काली से मारपीट कर एक लाख रूपए व मोटरसाईकिल की मांग की हो। गवाह ने उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का सी से डी भाग लिखाए जाने से इनकार किया। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उनके व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो गया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि महावीर व उसके परिवारवालों ने काली के साथ किसी भी तरह की दहेज की मांग हीं की थी, न ही मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था। गवाह ने यह स्वीकार किया कि मामुली विवाद को लेकर काली के पिता ने बढा चढाकर रिपोर्ट पेश कर दी थी।

11. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 7 सोरत एवं पी.ड. 8 कानाराम जो कि परिवादिया के पडौसी है, पक्षद्रोही होकर कथन कियाकि महावीर ने दहेज की मांग कर काली को परेशान किया इस बारे में उसने न तो सुना और न ही देखा। अभियोजन पक्ष की जिरह मे गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया कि महावीर व उसके परिवार ने काली व उसके पिता से पैसे व मोटरसाईकिल की मांग की हो। गवाह ने उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–9 व प्रदर्श पी–10 का सी से डी भाग लिखाए जाने से इनकार किया। गवाह ने यह स्वीकार किया कि उनके व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो गया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि महावीर व उसके परिवारवालों ने काली के साथ किसी भी तरह की दहेज की मांग हीं की थी, न ही मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया। यह स्वीकार किया कि काली व महावीर के मध्य राजीनामा हो गया है। यह स्वीकार किया कि काली के पिता ने आवेश में आकर गलत मुकदमा दर्ज करवाया था।

12. प्रकरण के अन्य अभियुक्त पक्ष के गवाह पी.ड. 2 डेमोराम, पी.ड. 5 हनुमान पक्षद्रोही होकर कथन किया कि महावीर ने काली के साथ उसके सामने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की और न ही कोई दहेज की मांग की। अभियोजन पक्ष की जिरह में गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया कि महावीर ने काली से दहेज में एक लाख रूपए व मोटरसाईकिल की मांग की हो। गवाहान ने अपने–अपने पुलिस बयान का सी से डी भाग लिखाए जाने से इनकार किया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया कि काली के पिता ने बढा चढाकर आवेश में यह मुकदमा दर्ज करवा

दिया था। यह स्वीकार किया कि काली व महावीर के मध्य राजीनामा हो गया है। यह भी स्वीकार किया कि महावीर ने कभी भी काली से दहेज की मांग नहीं की, न ही मांग को लेकर प्रताडित किया।

13. इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित समस्त गवाहान पक्षद्रोही हुए है तथा अभियोजन कहानी की सम्पुष्टि नही करते हैं। साथ ही प्रार्थिया सहित गवाहान ने उभय पक्ष में आपसी राजीनामा होने तथा आवेश में आकर परिवादिया के पिता द्वारा यह मुकदमा दर्ज कराए जाने का कथन किया गया है। साथ्ज्ञ ही गवाहान ने इस तथ्य से इनकार किया कि अभियुक्तगण द्वारा पीडिता श्रीमती काली के साथ एक लाख रूपए व मोटरसाईकिल की मांग को लेकर मारपीट कर क्रूरता कारित की गयी। हो। प्रकरण में पीडिता/परिवादिया श्रीमती काली मूकबधिर होने एवं बोलने में सक्षम नहीं होने पर अध्यापिका सुमन राठौड जो पूर्व में मूकबधिर विद्यालय में कार्यरत होने एवं सांकेतिक भाषा का अनुभव होने से उनके द्वारा पूछने व समझाने पर भी सक्षम नहीं होने पर परिवादिया के बयान लेखबद्ध किया जाना संभव नही होने पर बयान लेखबद्ध नहीं किए गए। इस प्रकार अभियोजन पक्ष संदेह से परे इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त महावीर द्वारा प्रार्थिया श्रीमती काली के साथ दहेज की मांग की गई हो तथा मांग की अनापूर्ति के चलते प्रार्थिया के साथ क्रूरता कारित की हो। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ क्रूरता कारित करने व दहेज की मांग संदेह से परे साबित होती हो। उपरोक्त सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन पक्ष धारा 85 बी.एन.एस. एवं धारा 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत समग्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त महावीर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 85 बी.एन.एस. एवं धारा 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: आदेश::–

15. अतः अभियुक्त महावीर पुत्र नन्दाराम उम्र 28 वर्ष निवासी केसरपुरा पुलिस थाना सराना जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 85 बी.एन.एस. एवं धारा 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

{ कार्तिक शर्मा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर

16. निर्णय व आदेश आज दिनांक 06–04–2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

{ कार्तिक शर्मा }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़
जिला–अजमेर